

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2391
07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत प्रगति

2391# श्रीमती सीमा द्विवेदी

श्री मनन कुमार मिश्र

श्री लहर सिंह सिरौया

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा प्रति व्यक्ति इस्पात खपत का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा इस्पात क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में संचालित ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड सहित प्रमुख इस्पात परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन (एमटी) कूड स्टील की क्षमता सृजित करने और 255 मिलियन टन कूड स्टील का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कूड स्टील का उत्पादन 2023-24 में 144.30 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2025-26 में 170.15 मिलियन टन हो गया, जबकि कूड स्टील की क्षमता 179.51 मिलियन टन से बढ़कर 220.41 मिलियन टन हो गई। इसी अवधि के दौरान, क्षमता उपयोग 80.4% से घटकर 77.2% हो गया और प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत 97.7 किलोग्राम से बढ़कर 115.7 किलोग्राम हो गई। प्रमुख इस्पात कंपनियों में, सेल ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्यों में स्थित अपने संयंत्रों में वित्त वर्ष 2030-31 तक अपनी कूड स्टील क्षमता को लगभग 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन करने की विस्तार योजना को मंजूरी दी है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, और सरकार घरेलू इस्पात उत्पादन और क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं, क्षमता विस्तार और निवेश सहित इस्पात संयंत्रों की स्थापना के संबंध में निर्णय प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक विश्लेषण के आधार पर अलग-अलग इस्पात कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। सरकार ने घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन और घरेलू स्तर पर विनिर्मित इस्पात की सरकारी अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएम आई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन शामिल है।
